भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 4986

उत्तर देने की तारीखः 01.04.2025

अन्य पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण

4986. डॉ. डी. रवि कुमारः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु के कुल कितने समूहों, जातियों या समुदायों ने वर्ष 2014 से अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने के लिए सरकार या एनसीबीसी से संपर्क किया है और इन अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु से अन्य पिछड़े वर्गों को शामिल किए जाने हेतु आवेदनों की वर्तमान स्थिति क्या है और इनमें से कितने आवेदन लंबित, स्वीकृत अथवा अस्वीकृत हैं;

(ग) क्या सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के संबंध में रोहिणी आयोग के प्रतिवेदन की किन्हीं सिफारिशों को लागू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने संबंधी अनुरोधों का निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है और यह विभिन्न समुदायों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का कितना समाधान करती है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): तमिलनाडु राज्य सरकार ने तमिलनाडु राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 25 समुदायों की सूची भेजी है। विवरण **संलग्नक** में दिया गया है।

(ख): दिनांक 11.08.2018 को लागू हुए 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 के पश्चात सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 342क के प्रावधान के अनुसार केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है।

(ग): अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति जी. रोहिणी की अध्यक्षता में गठित आयोग ने 31 जुलाई, 2023 को अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंप दिया है, जो इस विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): ओबीसी समावेशन के अनुरोधों का निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया था, जो संसद को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को केंद्रीय सूची में शामिल करने या इससे बाहर करने का अधिकार देता है।

संलग्नक

डॉ. डी. रवि कुमार द्वारा पूछ गए दिनांक 01.04.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4986 के भाग (क) में उल्लिखित संलग्नक

तमिलनाडु राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा भेजे गए 25 समुदायों का विवरण

क्र. सं.	समुदायों के नाम
1.	रेड्डी (गंजम)
2.	कनियाला वेल्लालर
3.	ओ.पी.एस. वेल्लालर
4.	पैयूर कोट्टा वेल्लालर
5.	मुंद्रुमंदाई एनबाथु नालु (84) उर सोझिया वेल्लालर
6.	कुडिकारा वेल्लालर
7.	ऊट्टरुवलनट्टु वेल्लालर
8.	शेख़
9.	सैयद
10.	अंसार
11.	कसुक्करा चेट्टियार
12.	कर्पूरा चेट्टियार
13.	लिंगायत
14.	सुंदरम चेट्टी
15.	उरीक्करा नयक्कर
16.	उरक्किरा कुल क्षत्रिय नायकर
17.	अयिरा वैस्यार
18.	कोंगु वैष्णव
19.	चौधरी
20.	कन्नड़ नायडू
21.	वल्लानाट्टू चेट्टियार
22.	पांडिया वेल्लालर
23.	सेराकुला वेल्लालर
24.	अनाथ
25.	ट्रांसजेंडर/किन्नर

*****